हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण

की

दशम् बोर्ड बैठक

दिनाँक – 07–07–2003

का

कार्यवृत्त

स्थान :

कैम्प कार्यालय, आयुक्त मेरठ मंडल,

मेरठ

हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की दशम् बोर्ड बैठक

दिनाँक 07–07–2003 का कार्यवृत्त

दिनाँक 07–07–2003 को आयुक्त मेरठ मण्डल एवं अध्यक्ष हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में, आयुक्त महोदय के कैम्प कार्यालय मेरठ में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

1	श्री एन0एस0 रवि	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2	श्री मुक्तेश मोहन मिश्र	उपाध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड	उपाध्यक्ष
3	श्री इन्द्रवीर सिंह यादव	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) गाजियाबाद (जिलाधिकारी, गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
4	श्री एस0के0 जमान	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर0 गाजियाबाद (आयुक्त एन0सी0आर0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
5	श्री अतुल कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ (राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
6	इं0 वाई0पी0 शर्मा	अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ (प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य
7	इं0 आर0के0 शर्मा	स0 अ0 निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 गाजियाबाद (अधिक्षण अभियंता बुलन्दशहर–गाजियाबाद वृत्त लो0नि0वि0 के प्रतिनिधि के रूप में)	सदस्य

विशेष आमंत्रित एवं अन्य उपस्थिति:

1	श्री श्याम सिंह यादव	सचिव, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड

2	श्री वेद मिततल	मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
3	इं0 राधेश्याम शर्मा	अधिशासी अभियंता, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड
4	श्री अनिल भटनागर	एशोसिएट प्लानर एन0 सी0 आर0, गाजियाबाद
5	श्री संतोष कुमार कौशिक	सहायक लेखाधिकारी, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड

बैठक के कार्यवृत्त व निर्णय निम्नानुसार हैः–

मद संख्या	विषय	निर्णय
1	प्राधिकरण की गत (नवम) बोर्ड बैठक दिनांक 17–02–2003 की पुष्टि।	हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की नवम बोर्ड बैठक दिनांक 17–02–2003 के कार्यवृत्त की प्रतियाँ सभी सदस्यों को प्रेषित की गयी थीं। बैठक का कार्यवृत्त पुनः उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया। कार्यवृत्त के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः प्राधिकरण की नवम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2	प्राधिकरण की नवम बोर्ड बैठक दिनांक 17–02–2003 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित व अनुमोदित की गयी।
3	वित्तीय वर्ष 2002–03 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2003–04 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	एक्सपेन्डीचर साइड के मद संख्या VI (इन्वेस्टमेन्ट) में 50.00 लाख प्राविधान के स्थान पर 35.00 लाख संशोधित करते हुऐ अनुमोदित किया गया।
4	पिलखुवा महायोजना प्रारूप–2021 पर प्राप्त आपत्ति / सुझाव के संबंध में।	पिलखुवा नगर के प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित महायोजना प्रारूप की दिनांक 23–04–2003 से 22–05–2003 तक प्रदर्शनी लगायी गयी। प्रारूप पर कुल चार आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुऐ हैं। हापुड–पिलखवा विकास प्राधिकरण द्वारा आपत्ति एवं सुझाव की सुनवायी हेतु गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 12–06–2003 को सम्पन्न हुई। चारों आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवायी हेतु आमंत्रित किया गया तथा आपत्ति सुनवायी के उपरान्त उपसमिति द्वारा पिलखुवा महायोजना प्रारूप में निम्नलिखित संशोधन करने की संस्तुति की गयीः–

		1 नेशनल हाई–वे – 24 पर ग्राम छिजारसी एवं लाखन के मध्य मार्ग के उत्तर दिशा में प्रस्तावित कृषि क्षेत्र को मनोरंजन क्षेत्र घोषित करने की संस्तुति की गई। 2 मोदीनगर जाने वाले बाईपास की संस्तुति चौडाई 45 मी0 से घटाकर 30 मी0 करने तथा प्रस्तावित वाइडनिंग मार्ग के केन्द्र बिन्दु से पूर्व दिशा में 10 मी0 तथा पश्चिम दिशा में 20 मी0 करने की संस्तुति की गई। 3 नगर के भीतर आवासीय क्षेत्रो में चल रही औद्योगिक इकाइयों को नगर के बाहर उपनियम बनाकर स्थांतरित करने हेतु 30 हेक्टेयर क्षेत्र (ग्राम डूहरी के निकट) हल्के एवं लघु उद्योग भू–प्रयोग हेतु प्रस्तावित करने की संस्तुति की गई है। 4 ग्राम खेडा से धौलाना जाने वाला मार्ग, अचपल गढी जाने वाले मार्ग का महायोजना मानचित्र पर अंकन किये जाने की भी संस्तुति की गई। उपरोक्त सभी संशोधन किये जाने की संस्तुतियॉ बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर पिलखुवा महायोजना–2021 को अनुमोदित कर शासन को अंतिम अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
5	बारात घर / उत्सव भवन के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण के संबंध में।	अंगीकृत किया गया।
6	मैसर्स सैन्चुरी लैमिनेटिंग कम्पनी लि0 को 20 एकड भूमि दिये जाने के संबंध में	प्रस्ताव पर विचार के समय उपाध्यक्ष हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 सेन्चुरी

		लैमिनेटिंग कं0 के भूमि एवं रेट के प्रकरण पर शासन द्वारा (आवास विभाग) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट दिनांक 10--06-2003 को शासन के निर्देशानुसार बोर्ड के सम्मुख रखा गया है। इसी बीच दिनांक 04-07-2003 का सचिव उद्योग/अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु द्वारा उक्त उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि के शामिल ना होने के आधार पर पुनः आहूत की गयी। उक्त बैठक के औपचारिक निर्णय एवं शासन (आवास विभाग) के निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उपरोक्त परिस्थिति का बोर्ड ने विस्तृत विचार करते हुए निर्णय लिया कि वर्णित 04-07-2003 की बैठक की रिपोर्ट तथा शासन के यथा निर्देश के प्राप्त होने पर बोर्ड सम्पूर्ण परिस्थितियों पर पुनः विचार कर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
7	अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से: श्री श्याम सिंह यादव, सचिव को उनके बच्चों की चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान के संबंध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
अतिरिक्त मद सं0-1	दिनांक 31-03-2003 के बाद निस्तारित होने वाले समस्त शमन एवं प्रस्तावित मानचित्रों पर गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में लिये जा रहे सुदृढीकरण शुल्क/विकास शुल्क/अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क पर 10% बढा कर लिये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अवलोकन करते हुए अगली बोर्ड बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

अंत में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(मुक्तेश मोहन मिश्र)
उपाध्यक्ष
हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड

अनुमोदित

(एन. एस. रवि)
मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल /
अध्यक्ष, हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड